कृषि विज्ञान केन्द्र, पोकरण (जैसलमेर–II)

(स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर)

राष्ट्रीय राजमार्ग–11, गोमट, पोकरण, जैसलमेर, राजस्थान–345021

उत्तमा इतिरतु कृषिकर्मेव

भाकृअनुप ICAR

डॉ. दशरथ प्रसाद
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
http://jaisalmer2.kvk2.in

(+91) 2994–299451
(+91) 9461073512
kvkpokaran@gmail.com

क्रमांकः के.वी.के./पोक/लेखा/निविदा/2024/170

दिनांक; 12/07/2024

निविदा सूचना संख्या–03/2024–25

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये खरीफ–2024 में कृषि विज्ञान केन्द्र, पोकरण (जैसलमेर–II) के फार्म की 8.0 हैक्टेयर कृषि भूमि पर फसलों के बीज उत्पादन के लिये हिस्सा आधारित खेती करने हेतु सम्बंधित व्यक्ति/फर्मों से निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19/07/2024 को प्रातः 11:00 बजे तक मोहरबंद खुली निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। निविदा फॉर्म एवं शर्ते रूपये 500/– नकद या डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जो कि "Senior Scientist and Head, Krishi Vigyan Kendra, Pokaran" के पक्ष में देय हो, को राजपत्रित अवकाश के अलावा कार्य दिवस मे दिनांकः 12/07/2024 से 18/07/2024 तक प्रातः 10:00 से सायं 05:00 एवं 19/07/2024 को प्रातः 10:30 बजे तक भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। उक्त निविदा को दिनांक 19/07/2024 को दोपहर 02:00 बजे निर्धारित समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा। निविदा से संबंधित अन्य जानकारी एवं विवरण वेबसाइट https://sppp.rajasthan.gov.in एवं www.raubikaner.org एवं www.jaisalmer2.kvk2.in पर देखा जा सकता है।

12.7.2024

(वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष)

डॉ. दशरथ प्रसाद
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
कृषि विज्ञान केन्द्र, जैसलमेर - II
पोकरण - 345021 (राज.)

कृषि विज्ञान केन्द्र, पोकरण (जैसलमेर–II)

(स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर)

राष्ट्रीय राजमार्ग–11, गोमट, पोकरण, जैसलमेर, राजस्थान–345021

उत्तमा कृषिरतु कृषिकर्मेव

भाकृअनुप ICAR

डॉ. दषरथ प्रसाद
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
http://jaisalmer2.kvk2.in

(+91) 2994–299451
(+91) 9461073512
kvkpokaran@gmail.com

क्रमांकः के.वी.के. / पोक / लेखा / निविदा / 2024 / 193 दिनांक; 12 / 07 / 2024

निविदा सूचना संख्या–03 / 2024–25

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र, पोकरण (जैसलमेर–II) के फार्म की 8.0 हैक्टेयर कृषि भूमि पर फसलों के बीज उत्पादन के लिये हिस्सा आधारित खेती करने हेतु सम्बंधित व्यक्ति / फर्मो से निर्धारित प्रपत्र में मोहरबंद खुली निविदाएँ आमंत्रित की जाती है, जिनका विवरण निम्नानुसार है;

1	निविदा का NIB नं.	NIB No.: **SKA2425A0027**
2	निविदा फॉर्म की दर	रू. 500 /– नगद अथवा डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से
3	निविदा संदर्भ	केन्द्र के फार्म की 8.0 हैक्टेयर कृषि भुमि पर फसलों के बीज उत्पादन के लिये हिस्सा आधारित खेती करने हेतु
4	निविदा प्रपत्र	निविदा प्रपत्र–(क) एवं निविदा प्रपत्र–(ख)
5	कार्य की अनुमानित लागत	रूपये 3.50 लाख (रू. तीन लाख पचास हजार मात्र)
6	कार्य की अनुमानित अवधि	खरीफ–2024 (जुलाई से अक्टुबर 2024)
7	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की दिनांक व समय	दिनांकः 12 / 07 / 2024 से 18 / 07 / 2024 तक कार्यालय कार्य दिवस मे प्रातः 10:00 से सायं 05:00 एवं 19 / 07 / 2024 को प्रातः 10:30 बजे तक।
8	निविदा प्रपत्र कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम दिनांक	दिनांकः 19 / 07 / 2024 सुबह 11:00 बजें (निविदा फॉर्म मय संलग्नक एवं धरोहर राषि)
9	निविदा खोलने की दिनांक व समय	दिनांकः 19 / 07 / 2024 दोपहर 02:00 बजें (नियुक्त कमेटी द्वारा)
10	निविदा खोलने का स्थान	कृषि विज्ञान केन्द्र, पोकरण

निविदा निर्धारित प्रपत्र में बन्द लिफाफे में ही स्वीकार की जायेगी। निविदा फॉर्म षुल्क रू. 500 /– नगद अथवा डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जा सकता है, जो कि “Senior Scientist and Head, Krishi Vigyan Kendra, Pokaran” के पक्ष में देय हों।

12-7-2024

(वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष)

डॉ. दशरथ प्रसाद
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
कृषि विज्ञान केन्द्र, जैसलमेर - II
पोकरण - 345021 (राज.)

UBN No. : SKA2425SSOB00031

—: खरीफ—2024 में हिस्सा खेती करने हेतु आमंत्रित की गई खुली निविदा की शर्ते (ख) :—

1	निविदा की अनुमानित लागत राशि 3,50,000/— (रू. तीन लाख पचास हजार मात्र) होगी जिसमें स्वीकृत निविदादाता को अनुमानित लागत राशि पर नियमानुसार 02 प्रतिशत की दर से राशि 7,000/— रूपये धरोहर राशि के रूप में डिमांड ड्राफ्ट जो "Senior Scientist and Head, Krishi Vigyan Kendra, Pokaran" के पक्ष में देय हो जो निविदा फॉर्म के साथ जमा करानी होगी। बिना धरोहर राशि के अभाव में निविदा फॉर्म स्वीकार नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही यदि निविदादाता बीच में किसी कारण से ठेका/अनुबंध छोड़ देता है तो उसकी जमा धरोहर राशि कार्यालय द्वारा जब्त कर ली जायेगी।
2	सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के बाद कुल अनुमानित लागत राशि पर 03 प्रतिशत की दर से राशि 10,500/— रूपये अतिरिक्त शुल्क के रूप में दो दिवस के अन्दर उपरोक्तानुसार डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ही जमा करवाना होगा।
3	निविदादाता को निविदा फॉर्म के साथ फर्म के डाक्युमेंट (जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन, केंसल्ड बैंक चेक) तथा स्वयं का पेन कार्ड, आधार कार्ड की छांयाप्रति व पासपोर्ट साईज फोटो संलग्न करना अनिवार्य है।
4	निविदादाता को कृषि कार्य का कम से कम 02 या 03 साल का अनुभव प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5	डिस्क प्लो, हेरो, कल्टीवेटर द्वारा भूमि तैयारी कार्य व बुवाई सीड ड्रील केन्द्र द्वारा की जावेगी। किन्तु थ्रेसिंग कार्य की व्यवस्था निविदादाता द्वारा ही की जावेगी।
6	केन्द्र के दोनों फार्म पर सभी कृषि कार्य संबंधित निविदादाता को स्वंय द्वारा ही किया जाना आवश्यक है। निविदादाता उक्त फार्म को अन्य किसी भी व्यक्ति/फर्म को सबलैट नहीं कर सकेगा, ऐसा कुछ करने पर उक्त निविदा को तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।
7	यदि सम्बंधित निविदादाता द्वारा फार्म पर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य करवाता है, तो भी निविदादाता का फार्म पर उपस्थित रहना अतिआवश्यक होगा तथा साथ ही मजदूरों से कार्य शुरू करवाने से पूर्व उनके द्वारा करवाये जाने वाले कार्य के बारे में फार्म मैनेजर/फार्म इन्चार्ज/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष को सूचित करना होगा।
8	बुवाई के दौरान लगने वाले आदान बीज, फंफूदनाशक, कीटनाशक, कल्चर की आपूर्ति केन्द्र द्वारा वैज्ञानिक अनुशंसा के अनुसार ही की जावेगी। बुवाई के लिये फसल का चयन केन्द्र द्वारा किया जायेगा। निविदादाता की कोई शर्ते मान्य नहीं होगी।
9	फसल वृद्धि के दौरान रोग व कीट के प्रकोप की स्थिति में फंफूदनाशक, कीटनाशक व अन्य रसायन की आपूर्ति भी वैज्ञानिक अनुशंसा के अनुसार केन्द्र करेगा, परन्तु श्रमिक अवयव व यन्त्र/उपकरण निविदादाता के ही होगें।
10	फसल की बुवाई से लेकर थ्रेसिंग करवाने सम्बंधित मजदूरी तथा उसके बाद उत्पाद की साफ—सफाई करके बोरियां भरकर, तोलकर गोदाम में रखने तक की प्रक्रिया में लगने वाले श्रमिक अवयव निविदादाता को ही वहन करने होगें।
11	विभिन्न प्रकार की सस्य क्रियायें फार्म मैनेजर/फार्म इन्चार्ज/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष के निर्देशानुसार निश्चित समय पर करनी होगी तथा इसके लिये श्रमिक अवयव निविदादाता को वहन करना होगा तथा उक्तानुसार बताया गया कार्य निश्चित समय में नही करने पर जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई निविदादाता से समिति के निर्णयानुसार की जायेगी।
12	निराई—गुडाई, सिंचाई, कटाई, थ्रेसिंग तथा अन्य सम्बन्धित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुए करने होगें। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार फार्म मैनेजर/फार्म इन्चार्ज/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष को होगा।
13	फसल में रोगिंग/अपवांछन कार्य फार्म मैनेजर/फार्म इन्चार्ज/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष की देखरेख में करना होगा। पम्प व ट्यूब वैल मोटर ऑपरेशन निविदादाता/ठेकेदार को ही करना होगा तथा निविदादाता को नहर से पानी की बारी आने से पहले खाले की साफ—सफाई करनी होगी एवं डिग्गि में पानी भरने की जिम्मेवारी निविदादाता की होगी।
14	फसलों की रखवाली करने की पूर्ण जिम्मेवारी निविदादाता की होगी इसमें शिथिलता बरतने या नुकसान होने पर समिति द्वारा आकलन करवाया जायेगा जिसे निविदादाता के भुगतान में से काट दिया जायेगा।
15	सभी फसलों की कटाई होने तक खेत को पूर्ण रूप से खरपतवार रहित रखना होगा चाहे इस हेतु बार—बार निराई—गुढ़ाई करनी पड़े, अन्यथा उत्पादन में हुई कमी की भरवाई करने के लिये कुल उत्पादन में से 10 प्रतिशत की कमी मानकर निविदादाता को किये जाने वाले भुगतान के अंतर की राशि (प्रत्येक फसलों अनुसार) या धरोहर राशि जो भी अधिक हों से काटकर की जायेगी।
16	फसल कटाई के मामलों में कटी हुई फसलों को कहां इक्ट्ठा करना है व कितने ढेर बनाने है इसके लिए फार्म मैनेजर/फार्म इन्चार्ज/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष के दिशा—निर्देशन मे करना होगा।
17	थ्रेसिंग के वाद प्राप्त होने वाले बीज उत्पाद के बंटवारे के बाद निविदादाता के हिस्से के विक्रय की स्थिति में प्रथम अधिदार केन्द्र का होगा, जिसके लिए निविदादाता को जींस की न्यूनतम समर्थन मूल्य की दर से 10 प्रतिशत बढ़ाकर अथवा मण्डी में प्रचलित दर से 10 प्रतिशत बढ़ाकर दोनों मे से जो भी अधिक हों के अनुसार भुगतान किया जायेगा। यदि जिस जींस की न्यूनतम समर्थन मूल्य तय नहीं है तो उसका भुगतान जींस की मण्डी में प्रचलित दर से 10 प्रतिशत बढ़ाकर भुगतान किया जायेगा।
18	फसलों से उत्पादित चारे का 100 प्रतिशत हिस्सा निविदादाता का होगा जिसे थ्रेसिंग करने के अधिकतम 10 दिन में लेजाकर खेत खाली करना होगा।
19	खरीफ की फसल का उत्पादन 30 नवम्बर 2024 से पहले तथा रबी की फसल का उत्पादन 31 मई 2025 से पहले

P.T.O.

	केन्द्र के गोदाम में जमा करना होगा अन्यथा प्रतिदिन एक प्रतिशत के हिसाब से निविदादाता के हिस्से से कटौती की जावेगी।
20	किसी भी स्थिति में न तो निविदादाता या अन्य किसी के कोई भी पशु फार्म पर लाये जायेगें और न ही फार्म से हरा/सुखा चारा ले जाया जायेगा। निविदादाता को फार्म के मुख्य द्वार से ही आना–जाना होगा। फार्म पर निविदादाता के अलावा किसी भी अन्य अवांछित व्यक्ति का फार्म में प्रवेश वर्जित रहेगा। अतिआवश्यक कार्य होने पर यदि किसी व्यक्ति को केन्द्र के फार्म पर रोकना है तो इसकी पूर्व में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष से स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।
21	फसल को जंगली जानवरों के खाने, किसी के द्वारा चोरी करने व अन्य किसी तरह की हानि से बचाने व रखवाली (दिन व रात्री) हेतु सुरक्षा का कार्य निविदादाता को करना होगा।
22	विभिन्न कार्यों के दौरान किसी भी प्रकार की जन–धन हानि एवं दुर्घटना की वैद्यानिक व सम्पूर्ण जिम्मेवारी निविदादाता की होगी। इस सम्बंध में केन्द्र का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
23	ऑफिस के सामने वाले फार्म 7.0 हैक्टेयर पर सिंचाई हेतु पाईप एवं फव्वारा निविदादाता को ही लाना होगा। सिचाई के साधनों व डिग्गी के पानी का समुचित उपयोग करना होगा। ऑफिस के सामने वाले फार्म पर निविदादाता को फसल की थ्रेसिंग के बाद फसल उत्पादन को साफ करके फार्म इन्चार्ज के दिशानिर्देशानुसार बोरियों में भरना एवं तौलकर गोदाम में व्यवस्थित रखना होगा।
24	फार्म पर स्थित तारबन्दी (तार–जाली व खम्भे), मोटर, तार, पाइप, पेड़ एवं अन्य सामान की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। किसी वस्तु/औजार आदि के खोने अथवा चोरी हो जाने पर निविदादाता को उसकी पूर्ति करनी होगी।
25	फसलोत्पादन के दौरान किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा (शीतलहर, ओलावृष्टी, आगजनी आदि) की स्थिति में क्षति होने पर केन्द्र द्वारा निविदादाता को किसी प्रकार का मुआवजा/क्षतिपूर्ति/फसल बीमा आदि का लाभ नही दिया जाएगा, और निविदादाता किसी भी प्रकार के मुआवजा/क्षतिपूर्ति/फसल बीमा आदि की मांग भी नही कर सकेगा।
26	सभी प्रकार के टैक्स वहन की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
27	अनुबंद खत्म होने पर निविदादाता को कृषि विज्ञान केन्द्र, पोकरण से "नो ड्यूज" लेना होगा।
28	निविदादाता या उसके श्रमिक द्वारा अपने स्तर पर फार्म पर निर्धारित कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई गैर कानूनी गतिविधि संचालित करता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
29	निविदा की शर्ते स्वीकार करते हुये कार्य करने की सहमति प्रदान करने हेतु निविदादाता को रूपये 100/– के नॉन–ज्यूडिसियल स्टाम्प पर नोटेरी से प्रमाणित शपथ पत्र निविदा स्वीकृत होने के दो दिनों के अन्दर कार्यालय समय में जमा करवाना होगा। इसके अभाव में सफल निविदादाता को कार्यादेश नहीं दिया जाएगा तथा जमानत राशि भी जब्त कर ली जाएगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी निविदादाता की होगी।
30	निविदादाता द्वारा हिस्सा खेती की भरी गई न्यूनतम/उच्चतम दर को मानने के लिए कमेटी बाध्य नहीं होगी, कमेटी का निर्णय ही सर्वमान्य होगा।
31	बिना कोई कारण बताये निविदा को निरस्त करने का अधिकार वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष को होगा तथा किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा जो कि निविदादाता को मानना बाध्य होगा।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैने/हमनें पूरी सावधानी पूर्वक उपरोक्त सभी शर्ते अच्छी तरह से पढ़ ली है जो मुझे/हमें स्वीकार्य है एवं मैं/हम उपरोक्त शर्तो पर कार्य करने के लिए सहमत हूँ/है। मेरा/हमारा कार्य किसी भी स्तर पर संतोष जनक नहीं पाये जाने पर निविदा निरस्त कर मेरी/हमारी धरोहर राशि केन्द्र जब्त कर सकता है।

डॉ. दशरथ प्रसाद
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
कृषि विज्ञान केन्द, जैसलमेर - II
पोकरण – 345021 (राज.)

(निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील एवं दिनांक)

(कमेटी सदस्यों के हस्ताक्षर)

(वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष)